विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 9/विज्ञापन/परीक्षा/शारी.प्रशि.अनु.ग्रेड–II & III/मा.शि.वि./2011–12 दिनांक : 14.12.2011

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II व III प्रतियोगी परीक्षा, 2011

1. **राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II व III प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के लिये निर्धारित ऑन लाइन आवेदन–पत्र (On Line Application form) पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन–पत्र भरना आवश्यक है।**

   विशेष नोट :–
   (1) **On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
   (2) **आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।**

2. अनेक पदों के लिए आवेदनः–यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन–पत्र भी भरना होगा किन्तु दूसरा आवेदन–पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन–पत्र का **आवेदन–पत्र क्रमांक** (Application ID) अंकित करें। **यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन–पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Reject) कर दिया जाएगा।**

   नोट :
   1. अभ्यर्थी आवश्यक रूप से अपना आवेदन–पत्र क्रमांक नोट कर लें ताकि अनेक पदों के लिए आवेदक या आवेदन संबंधी सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो। यह भी ध्यान दें कि **आवेदन–पत्र क्रमांक** ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** नहीं है, बल्कि आवेदन–पत्र भरने के उपरांत कम्प्यूटर से जारी किया गया आवेदन क्रमांक है।
   2. उल्लेखनीय है कि एक बार भरे गये आवेदन–पत्र में पद एवं विषय के अतिरिक्त अन्य सभी सूचनाएं स्वतः ही दूसरे आवेदन–पत्र में अंकित हो जाएगी, बशर्ते अभ्यर्थी द्वारा प्रथम आवेदन–पत्र का क्रमांक द्वितीय आवेदन–पत्र में अंकित कराया जाए। यदि अभ्यर्थी दो से अधिक आवेदन–पत्र भर रहा है, तब भी उसमें प्रथम आवेदन–पत्र का ही क्रमांक भरते जाएं।
   3. यदि कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन–पत्र क्रमांक भूल गया है तो वेब–साइट से अपना **टोकन नम्बर** और **जन्म तिथि** भरकर आवेदन–पत्र क्रमांक की जानकारी कर सकता है।

3. आवेदन प्रक्रिया :–
   (क) आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हें **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा **रुपये 40/– (रुपये 35/–** आवेदन–पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह **ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र** पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र **रुपये 5/–** ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑनलाइनआवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 35/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी। **हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
   (ख) परीक्षा शुल्क का ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से भुगतान की सुविधा के लिए ई–मित्र पोर्टल पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन नम्बर को यथावत उसी प्रकार से आयोग के ऑनलाइन फार्म में भरें।
   (ग) **अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है।**
   (घ) परीक्षा शुल्क के भुगतान के अन्य माध्यम की सुविधा लागू होने पर यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

4. प्रवेश–पत्र – आयोग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदनों में वेब–साइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब–साइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब–साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेब–साइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन–पत्र क्रमांक** एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के **ई–मेल आई.डी. (e-mail ID)** एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।

5. परीक्षा शुल्क – आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से आयोग को भेजे :–
   (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रुपये 250/–**
   (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– **रुपये 150/–**
   (ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु– **रुपये 50/–**

   नोट :–
   (1) ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रुपये 40/– (रुपये 35/–** आवेदन–पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।
   (2) ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।
   (3) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं।
   (4) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

क्रमशः.........

6. पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	पदों का वर्गीकरण
1	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड– II	230	नोटः– शासन से आरक्षण की स्थिति प्राप्त होने पर यथासमय विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।
2	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड– III	1303	

नोटः–

(1) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों जोकि दिनांक 10.10.2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

(2) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

(अ) **स्पष्टीकरण** : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ब) महिलाओं हेतु आरक्षित पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं एवं 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह महिलाओं (परित्यक्ता) के लिए आरक्षित हैं। किसी वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(3) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

(4) भूतपूर्व सैनिकों पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा ।

नोट :

(1) भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

(2) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा ।

(5) **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु** :– उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिये पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति को पश्चात्वर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जावेगी।

स्पष्टीकरण :– ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस् और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्र मण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

(6) परीक्षा के उपरान्त सफल आवेदकों से विस्तृत आवेदन–पत्र भरवाया जावेगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन–पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किए जाएंगे।

(7) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।

7. शैक्षणिक योग्यता :

1. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड– II के पदों हेतुः–

(1) Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) recognised by the National Council for Teacher Education. (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.)

(2) Working Knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

2. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड– III के पदों हेतुः–

(1) Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) or Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) recognised by the National Council for Teacher Education.(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में प्रमाण प्रत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.)

(2) Working Knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

नोटः– उक्त दोनों पदों की प्रथम योग्यता के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा किः– ''परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठयक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिये आवेदन करने के लिये पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।''

8. आयु :–आवेदक 1 जनवरी, 2013 को उपरोक्त दोनों पदों के लिए– न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और अधिकतम 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :–

1. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक–23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार :–

"जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छुट तीन वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु वर्ष 2008 में बैकलॉग पदों हेतु भर्ती की गई थी। यद्यपि इन पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2011 में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 15.01.2012 को रखी जाकर आयु की गणना दिनांक 01.01.2013 को की गई है। इस कारण से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के साथ–साथ आयु सीमा में शेष सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी।)

2. (1) राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
   (2) राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष की छूट होगी। नोटः–किसी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की महिला के पद आरक्षित नहीं होने पर महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में सामान्य पद के अनुरूप 5 वर्ष की छूट देय होगी।
   (3) सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
3. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
4. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
5. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें निरन्तर दो से अधिक अवसर नहीं दिये जावेंगे।
6. कैडेट इन्स्ट्रक्टर को अधिकतम आयु सीमा में उतने ही काल की छूट दी जायेगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी और यदि परिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
7. कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
8. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेन्टिव) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
9. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
10. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमिशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
11. सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
12. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। **स्पष्टीकरण** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
13. **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार** भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

नोट – (1) उपरोक्त पैरा के प्रावधान 2 से 13 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) आयोग द्वारा विज्ञापित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II व III के पदों का वर्गवार (Category wise) आरक्षण शासन से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

9. वेतमानः– 1. **शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II :-**
   रनिंग पे बेण्ड संख्या–2 (रू.9300–34800) ग्रेड पे संख्या–12 (रू. 3600/–) मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार।
   2. **शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III :–**
   रनिंग पे बेण्ड संख्या–1 (रू. 5200–20200), ग्रेड पे संख्या–10 (रू. 2800/–) मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार।

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा। प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। **पेंशनः**– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. आवेदन–पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक –
   1. **फीस जमा कराने की अन्तिम दिनांक 10 जनवरी, 2012 एवं**
   2. **आवेदन जमा कराने की अन्तिम दिनांक 15 जनवरी, 2012 को रात्रि 12–00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।)** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

11. परीक्षा का स्थान एवं माह :– इन पदों की परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी संभागीय जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। **परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है।**

12. पाठ्यक्रमः—इन पदों का पाठ्यक्रम आयोग की वेब—साईट पर शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा।

13. अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :— सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन—पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात् पहुंचने वाले आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के संबंध में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

14. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :—

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1—6—2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तानें हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

    परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिये निर्रहित नहीं समझा जायेगा, जब तक उसकी सन्तानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है :

    परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तानें पैदा हो जाती हैं वहाँ सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा ।

    परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह—13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

    स्पष्टीकरण :— इस नियम के प्रयोजन हेतु ''दहेज'' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है(सैन्ट्रल एक्ट 28 ऑफ 1961)
6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

15. अनुचित साधनों की रोकथामः —परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है।

16. श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा :— सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न—उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

17. आवेदन कैसे करें :—

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट :— राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

18. प्रमाण—पत्रों का सत्यापन :—आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ (जो कि परीक्षा में सफल होने वाले आवेदकों से भरवाए जाएंगे) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :—

(अ) जाति प्रमाण—पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है ।

(ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही—सही एवं पूर्ण भरी गई हैं ।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण—पत्र **On line Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण—पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार किया जाएगा।

(द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा ।

(य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण—पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात् जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।

(र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है ।

(ल) निःशक्तजन का सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्तजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **On line Application Form** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

(व) आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदन–पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

<u>नोट</u> :–

1. आवेदक जिनके आवेदन–पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।
2. विज्ञापित पद से संबंधित सेवा नियम के अनुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
3. <u>आयोग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाईड/गाईड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वैब–साइट **www.rpsc.gov.in** या **rpsconline.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।</u>

<u>विशेष टिप्पणी</u> :–

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न–पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंन्सिल, प्रवेश–पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

(5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(6) आयोग को आवेदन–पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :–

सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305026.

19. <u>आयोग की वेबसाइट</u> :–उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट **www.rpsc.gov.in** या **rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145–5151200, 5151240 एवं 5151302 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव

क्रमांक : प. 6 (4)/परीक्षा 'ग'/शारी.प्रशि.अनु.ग्रेड-II & III /माध्यमिक शिक्षा/2009–2010/1037–1047 दिनांक– 27.12.2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर । (क्रमांक :– शिविरा – माध्य/संस्था/एफ.1/12102/08/दिनांक 1.8.08)
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.17(2) शिक्षा–2/2008 दिनांक 13.6.08 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को उक्त विज्ञापन प्रेषित करते हुए **<u>राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के संस्करण दिनांक 01.01.2012 में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु</u>** भेजा जाता है। जिस पत्र के साथ विज्ञापन उक्त समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जाए उसकी एक प्रति कृपया आयोग कार्यालय को सूचनार्थ पृष्ठांकित करें साथ ही विज्ञापन प्रबन्धक से कृपया अनुरोध करें कि वे प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति (निशुल्क) अनुभाग अधिकारी, विज्ञापन शाखा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित सामग्री की जांच की जा सके।
4. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ ।
5. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विज्ञापन (केवल एक बार) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
6. उप शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
7. डायरेक्टर जनरल, रिसेटलमेन्ट सुरक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8. पंजीयक, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
9. मुख्य सम्पादक, सचिवालय संदेश, कमरा नम्बर – 85–बी, सचिवालय, जयपुर को विज्ञापन निशुल्क प्रकाशित करने हेतु ।
10. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
11. प्रमुंख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।

परीक्षा नियंत्रक